Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

आंतरिक सुरक्षा

(उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: UPM09

दृष्टि The Vision

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

आंतरिक सुरक्षा

(उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

दृष्टि The Vision

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UPPCS DLP विषय सूची (Contents)

1.	**भारत में आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ एवं समाधान**	**7–41**
	1.1 आंतरिक सुरक्षा एवं इसके अवयव	7
	1.2 भारत में आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख समस्याएँ/चुनौतियाँ	8
	1.3 आंतरिक सुरक्षा के जोखिम हेतु उत्तरदायी कारक	9
	1.4 आतंकवाद	10
	1.5 भ्रष्टाचार	21
	1.6 सांप्रदायिकता	23
	1.7 भीड़ द्वारा हत्या	27
	1.8 अवैध शरणार्थी	32
	1.9 नशीले पदार्थों की तस्करी	38
	1.10 बाह्य राज्य और राज्येतर कर्त्ता	40
2.	**भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौती : इनसर्जेंसी**	**42–66**
	2.1 इनसर्जेंसी क्या है?	42
	2.2 नक्सलवाद	43
	2.3 नक्सलवाद के कारण	46
	2.4 भारत में विकास और नक्सलवाद में संबंध	47
	2.5 नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति	47
	2.6 नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र तथा राज्य	48
	2.7 नक्सलवाद पर नियंत्रण हेतु सरकार के महत्त्वपूर्ण प्रयास	51
	2.8 नक्सलवाद की समाप्ति हेतु सुझाव	57
	2.9 पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद	58
	2.10 पूर्वोत्तर के लिये सरकार की पहलें	64

3. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन **67–86**

3.1 सीमा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों? 67

3.2 भारत तथा उसके पड़ोसी देशों के मध्य साझी सीमाएँ: समस्याएँ व प्रबंधन 69

3.3 भारतीय आकाशीय सीमा 77

3.4 तटीय सुरक्षा 79

3.5 वर्तमान तटीय सुरक्षा प्रणाली 83

4. भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौती : संगठित अपराध **87–100**

4.1 संगठित अपराध : अर्थ व आयाम 87

4.2 अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध 88

4.3 संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंध 90

4.4 संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच गठबंधन : उद्देश्य एवं समायोजन 91

4.5 भारत में संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंध 93

4.6 विभिन्न अवैध गतिविधियों तथा आतंकवाद में संबंध 94

4.7 मानव तस्करी 96

5. अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ : आणविक प्रसार एवं अतिवाद **101–109**

5.1 आणविक प्रसार से संबंधित मुद्दे 101

5.2 अतिवाद 106

6. अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती : संचार नेटवर्क **110–128**

6.1 संचार नेटवर्क द्वारा सुरक्षा चुनौतियाँ 110

6.2 साइबर अपराध के रूप/तरीके 111

6.3 साइबर युद्ध 113

6.4 साइबर आतंकवाद 114

6.5 संचार नेटवर्कों का दुरुपयोग 114

6.6 भारत में साइबर सुरक्षा की आवश्यकता 115

6.7 भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधान 117

6.8 भारतीय साइबर सुरक्षा संबंधी प्रमुख एजेंसियाँ 122

6.9 साइबर सुरक्षा में सरकार की भूमिका 125

6.10 साइबर सुरक्षा से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास 126

6.11 भारत द्वारा साइबर सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रयास 127

7. अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ : मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स 129–148

7.1 भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया की भूमिका 129

7.2 मीडिया के स्वनियमन के सिद्धांत 130

7.3 भारत में मीडिया विनियमन के प्रयास 131

7.4 मीडिया के विनियमन हेतु प्रमुख एजेंसियाँ 132

7.5 मीडिया की सकारात्मक भूमिका 134

7.6 मीडिया का समाज पर प्रभाव 135

7.7 सोशल नेटवर्किंग साइट्स 136

7.8 सोशल मीडिया की विशेषताएँ 137

7.9 विश्व एवं भारत में सोशल मीडिया का दुरुपयोग 137

7.10 सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकार के प्रयास 144

7.11 भारत में सोशल मीडिया की गतिशीलता एवं भूमिका 146

8. अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती : मनी लॉण्डरिंग (हवाला) 149–166

8.1 मनी लॉण्डरिंग : अर्थ, अवधारणा एवं आयाम 149

8.2 मनी लॉण्डरिंग की प्रक्रिया 151

8.3 मनी लॉण्डरिंग की प्रचलित विधियाँ 151

8.4 मनी लॉण्डरिंग के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव 152

8.5 भारत में मनी लॉण्डरिंग से निपटने के प्रयास 153

8.6 भारत में मनी लॉण्डरिंग से निपटने हेतु प्रमुख एजेंसियाँ 156

8.7 मनी लॉण्डरिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन 158

8.8 मनी लॉण्डरिंग एवं आतंकवाद के वित्त पोषण के विरुद्ध विभिन्न संगठनों की भूमिका 161

8.9 भारत में कालेधन पर रोक लगाने हेतु सरकारी प्रयास 162

9. भारत में सुरक्षा बल एवं उच्च रक्षा संगठन : भूमिका, प्रकार तथा शासनादेश 167–183

9.1 भारत में सुरक्षा बल 167

9.2 भारत में उच्च रक्षा संगठन 171

9.3 उत्तर प्रदेश में रक्षा संगठन 177

9.4 सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ी चुनौतियाँ एवं समाधान 177

9.5 सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े समकालीन मुद्दे 178

9.6 भारत में पुलिस सुधार 180

10. उत्तर प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा 184–200

10.1 उत्तर प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था 184

10.2 उत्तर प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था संबंधी संस्थाएँ तथा विभाग 186

10.3 उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा 196

अध्याय
1

भारत में आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ एवं समाधान
(Major Internal Security Challenges and Solutions in India)

किसी भी राष्ट्र के समक्ष अपनी संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखना उसकी पहली प्राथमिकता होती है। उसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ता एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु दो महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिसे बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के रूप में देखा जा सकता है। बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत जहाँ विदेशी व्यक्तियों/संगठनों, विदेशी शासकों अथवा राज्यों द्वारा उत्पन्न विभिन्न कारकों, जो किसी राष्ट्र की सुरक्षा एवं संप्रभुता को चुनौती देते हैं, आदि को शामिल किया जाता है। वहीं दूसरी ओर किसी राष्ट्र की अपनी भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पन्न होने वाली विभिन्न सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ, जो उस राष्ट्र की सुरक्षा एवं संप्रभुता को प्रभावित करती हैं, उस राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। वर्तमान में आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार देश के लिये गंभीर चुनौतियाँ हैं। साथ ही भारत में आतंकवादी/उग्रवादी गतिविधियाँ, नृजातीय संघर्ष, धार्मिक कट्टरता आदि आंतरिक सुरक्षा हेतु बड़े खतरे के रूप में उभरकर सामने आए हैं।

1.1 आंतरिक सुरक्षा एवं इसके अवयव
(Internal Security and its Components)

आंतरिक सुरक्षा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहलू/पक्ष है जो कानून और व्यवस्था, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा, लोगों के मौलिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता तथा हमारी संप्रभुता से संबंधित है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में एक राज्य को चार प्रकार के सुरक्षा संबंधी आयामों का उल्लेख किया गया है-

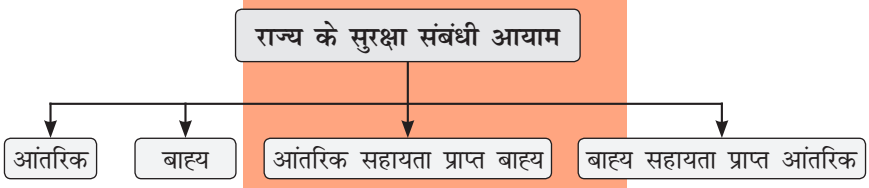

आज भी भारत को आंतरिक सुरक्षा के उपर्युक्त चारों प्रकार के खतरों से निपटने की आवश्यकता है। सूचना और डिजिटल युग में दिन-प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय/बाह्य परिवेश के बदलते स्वरूप के कारण देश की सुरक्षा के बाह्य और आंतरिक खतरे आपस में एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं, जिन्हें एक-दूसरे से पृथक् करके देखना उचित प्रतीत नहीं होता है। किसी राष्ट्र की 'राष्ट्रीय सुरक्षा नीति-निर्माण' हेतु आंतरिक सुरक्षा के तीन अति महत्त्वपूर्ण अवयवों/घटकों को ध्यान में रखा जाता है, जो निम्नवत् हैं-

- देश की संप्रभुता की रक्षा करना।
- क्षेत्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना।
- देश में आंतरिक शांति बनाए रखना।

उपरोक्त अतिरिक्त आंतरिक सुरक्षा संबंधी नीचे दिये गए महत्त्वपूर्ण घटकों को भी आंतरिक सुरक्षा की सुदृढ़ता एवं स्थिरता हेतु ध्यान में रखा जाता है-

- धार्मिक एवं सांप्रदायिक सद्भाव के बीच संतुलन बनाए रखना।
- संवैधानिक प्रावधानों का संरक्षण।
- विधि का कानून एवं कानून के समक्ष एकरूपता बनाए रखना।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- सीएफटी सेल आतकंवाद के वित्तपोषण को रोकने हेतु भारतीय गृह मंत्रालय का महत्त्वपूर्ण भाग है।
- कश्मीर समस्या के समाधान हेतु सुझाए गए फाइव-C फॉर्मूला में कंपैशन (सहानुभूति), कम्यूनिकेशन (संवाद), को-एक्सिस्टेंस (सह-अस्तित्व), कॉन्फिडेंश बिल्डिंग (विश्वास-निर्माण) और कंसिस्टेंसी (स्थिरता) शामिल हैं।
- हाल में भारत द्वारा पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के ट्रेनिंग कैंप के खिलाफ आतंकवाद निरोधी कार्यवाही में मिराज-2000 लड़ाकू विमान का प्रयोग किया गया जो एक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, जिसे भारतीय वायुसेना में 'वज्र' नाम दिया गया है।
- जम्मू-कश्मीर में कौशल विकास हेतु विशेष योजना 'उड़ान' का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- 'गोल्डेन क्रीसेंट' एवं 'गोल्डेन ट्राइएंगल' अफीम के विश्व में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं।
- गोल्डेन क्रीसेंट मध्य, दक्षिण और पश्चिम एशिया के बीच स्थित क्षेत्र है जो तीन देशों, यथा- अफगानिस्तान, ईरान एंव पाकिस्तान में विस्तृत है।
- 'गोल्डेन ट्राइएंगल' ऐसा क्षेत्र है जहाँ थाईलैंड, लाओस और म्याँमार की सीमाएँ रुआक एवं मेकांग नदियों के संगम पर मिलती है।
- वर्तमान में भीड़ द्वारा हत्या के मामलों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34, 147, 148, 149, 302, 307, 323 आदि के अंतर्गत निपटाया जाता है।

अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. "पिछले कुछ दशकों से आतंकवाद एक प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योग के रूप में उभर रहा है।" कथन का विश्लेषण कीजिये।
2. वर्तमान में भारत आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर किन-किन समस्याओं का सामना कर रहा है? इन समस्याओं द्वारा भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिये।
3. भ्रष्टाचार ने किस प्रकार हमारी आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न की है? स्पष्ट कीजिये।
4. सांप्रदायिक हिंसा ने जनमानस के मन में असुरक्षा की भावना को बल देते हुए राज्य के आर्थिक विकास में बाधाएँ उत्पन्न की हैं। समीक्षा कीजिये।
5. भीड़ द्वारा हत्या हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों की समीक्षा कीजिये एवं साथ-ही राजीव गाबा समिति द्वारा सुझाए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिये।
6. बाह्य राज्य एवं राज्येतर कर्त्ताओं ने भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये क्या चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं? इन चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है?

अध्याय
2

भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौती : इनसर्जेंसी
(Challenge of Internal Security in India : Insurgency)

भारतीय समाज के मूल में आरंभ से ही राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक बहुलतावाद के गुण विद्यमान रहे हैं, जिन्हें विभिन्न धर्मों, जातियों एवं समुदायों ने अपनी सांस्कृतिक तथा वैचारिक मान्यताओं से पुष्ट करते हुए भारतीय विविधता को और अधिक समृद्ध किया है। वर्षों से ही भारतीय जनता अधिकांशत: ग्रामीण रही है, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संलग्न रहकर अपना जीविकोपार्जन करती आ रही है। ऐसे बहुलतावादी एवं विविधता से परिपूर्ण भारतीय समाज में जनता के प्रत्येक वर्गों के हितों, उनके विकास एवं संवृद्धि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न रचनात्मक और विकासात्मक कार्य केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किये जाते रहे हैं। भौगोलिक असमानता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विषमता, पितृसत्तात्मक समाज, बढ़ती जनसंख्या दबाव के कारण उत्पन्न शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोज़गार संबंधी चुनौतियाँ और 1990 के दशक में भारत सरकार द्वारा उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति को स्वीकारते हुए आर्थिक विकास को बढ़ाने हेतु लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। किंतु, व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर बिचौलियों की उपस्थिति, मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार आदि की प्रवृत्ति से आधारभूत स्तर (ग्राम स्तर) पर, खासकर पिछड़े दूरस्थ एवं आदिवासी तथा अनुसूचित क्षेत्रों आदि में आम जनता के शोषण के कई साधन (जैसे- साहूकारी प्रथा, बेगार आदि) विद्यमान रहे हैं, जिनके कारण आधारभूत स्तर पर समावेशी विकास की संकल्पना की यथार्थता धूमिल हुई है, क्योंकि समावेशी विकास एक बहुपक्षीय विषय है, जिसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर, समाज में महिलाओं की स्थिति, पोषण तथा आवास की उपलब्धता, वस्तुओं एवं सेवाओं तक लोगों की पहुँच तथा प्रशासनिक और न्यायिक संस्थाओं तक जनता की पहुँच आदि को शामिल किया जाता है।

अत: संसाधनों के असमान वितरण, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नता, गरीबी, बेरोज़गारी तथा असमान एवं असंतुलित विकास से उपजे सामाजिक-आर्थिक असंतुलन के कारण कुछ राज्यों में, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद एवं इनसर्जेंसी जैसी समस्याएँ उभरकर सामने आई हैं।

2.1 इनसर्जेंसी क्या है? *(What is Insurgency?)*

इनसर्जेंसी एक संगठित विद्रोह का ही स्वरूप है, जिसका उद्देश्य हिंसा एवं सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से एक स्थापित शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है।

कोलिन शब्दकोश के अनुसार- 'इनसर्जेंसी नागरिकों द्वारा सरकार के विरुद्ध किया गया हिंसक कृत्य है।' इसमें सरकारी नीतियों एवं व्यवस्था का विरोध एक उग्रवादी वर्ग/समूह द्वारा जनता को अपने पक्ष में मिलाकर किया जाता है, अर्थात् जब एक समूह की उग्रवादी विचारधारा में हिंसक गतिविधियों का समावेश हो जाए, जो जनता द्वारा समर्थित भी हो तथा अपने निहितार्थ स्वार्थों की पूर्ति हेतु स्थापित सरकार एवं शासन को उखाड़ फेंकने के लिये सशस्त्र विद्रोह का सहारा ले तो इसे ही इनसर्जेंसी की संज्ञा दी जाती है। **मरियम वेब्स्टर शब्दकोश** के अनुसार- इनसर्जेंसी किसी सरकार के विरुद्ध किया गया वह विद्रोह है, जो किसी संगठित क्रांति से कम है और जिसे वैधानिक रूप से युद्ध की मान्यता प्राप्त नहीं है।

अत: इनसर्जेंसी किसी सरकार या वैधानिक संस्था या प्राधिकरण के विरुद्ध किया गया ऐसा सशस्त्र व्रिदोह है, जो वहाँ की भौगोलिक सीमाओं के भीतर किसी स्थिति के प्रति रोष एवं उसकी अस्वीकृति की भावना से उत्पन्न होता है, जिसमें व्रिदोहियों को वैधानिक रूप से संघर्षकर्त्ता की मान्यता नहीं दी जाती है। वृहद् परिप्रेक्ष्य में इनसर्जेंसी को विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न स्वरूपों में देखा जा सकता है, जैसे कि भारत में नक्सलवाद, जिसे वामपंथी उग्रवाद या माओवाद के नाम से भी जाना जाता है तथा पूर्वोत्तर में अलगाववाद। इन विद्रोही समूहों का लक्ष्य ऐसी स्थिति या आदेश/आदेशों का खंडन करना होता है जो स्वयं के हितों या अपने हितों से समानता रखने वाले वर्गों/समुदायों के प्रतिकूल हों। ये अपने मन-मुताबिक ऐसी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक मान्यताओं, हितों एवं उनके निजी स्वार्थ के अनुकूल हो।

अध्याय
3

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन (Challenges of Security and their Management in Border Areas)

दक्षिण एशिया में भारत की सुदृढ़ एवं महत्त्वपूर्ण स्थिति है। इसकी सीमाएँ दक्षिण एशिया के सात देशों से मिलती हैं, जिनमें कुछ देशों के साथ इसके सीमा विवाद भी मौजूद हैं। साथ ही इसकी एक लंबी समुद्री सीमा भी है। यद्यपि भूमंडलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण के युग में राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही हुई है, परंतु भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ आज भी विद्यमान हैं। मज़बूत सीमा प्रबंधन न केवल राष्ट्रीय विकास के लिये आवश्यक है, अपितु यह राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आर्थिक विकास के लिये भी ज़रूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य देश-विरोधी तत्त्वों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और ऐसी प्रणालियों की व्यवस्था करना है, जो विधि-सम्मत व्यापार एवं वाणिज्य को सुकर बनाते हुए अराजक तत्त्वों को रोकने में सक्षम हों। भारत में सीमा प्रबंधन में सीमाओं की सुरक्षा करने और इनके सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिये देश की प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, कानूनी, विनियामक तथा आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वय और सुनियोजित कार्यवाही किया जाना सम्मिलित है।

3.1 सीमा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों? *(Why Border Management Requires?)*

मज़बूत सीमा प्रबंधन न केवल राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा, बल्कि आर्थिक विकास के लिये भी आवश्यक है। सीमाओं का उचित प्रबंधन न केवल सीमापारीय अवैधानिक गतिविधियों, जैसे- मानव तस्करी, मादक द्रव्य, हथियार तथा रेडियोधर्मी पदार्थों की तस्करी को रोकने या कम करने में सहायता करता है, बल्कि व्यापार सुविधा तथा लोगों की वैध आवाजाही भी सुगम बनाता है। कई देशों को सीमा प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण है सीमाओं के चिह्नीकरण का अभाव, जो पड़ोसी देशों के भूभाग पर दावा करने तथा ऊर्जा एवं जल जैसे स्रोतों पर विवाद को जन्म देता है। कुछ देश सीमा विवाद का सैनिक हल निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि वर्तमान समय में खतरनाक होने के साथ-साथ अव्यावहारिक भी है। अत: सीमा प्रबंधन की धारणा में वर्तमान में काफी परिवर्तन हुआ है और सीमा प्रबंधन की नई तकनीकें अपनाई जा रही हैं। यह तकनीक उपरोक्त चुनौतियों से निपटने में भी सक्षम है। इसके अलावा यह व्यापार की दृष्टि से भी सुविधाजनक है।

दक्षिण एशिया में रणनीतिक रूप से भारत की स्थिति काफी महत्त्वपूर्ण है। इसकी सीमाएँ सात देशों-चीन, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्याँमार, नेपाल तथा अफगानिस्तान से मिलती हैं। इसके अलावा हिंद महासागर से लगी एक लंबी समुद्री सीमा है। अत: भारत की आंतरिक सुरक्षा में सीमा प्रबंधन एक महत्त्वपूर्ण अंग है। चीन तथा पाकिस्तान के साथ लंबा सीमा विवाद, कुछ अन्य देशों के साथ खुली सीमाएँ होने के कारण एक प्रभावी एवं कुशल सीमा प्रबंधन राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है। इसलिये भारत सरकार ने सीमा प्रबंधन हेतु बहुपक्षीय रणनीति अपनाई है तथा तदनुसार उपाय किये हैं। भारत की थल सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भारत की साझा थल सीमा इस प्रकार है-

देश का नाम	सीमा की लंबाई (किमी.)
चीन	3488
पाकिस्तान	3323
बांग्लादेश	4,096.7
म्याँमार	1643
नेपाल	1751
भूटान	699
अफगानिस्तान	106
कुल	**15,106.7**

अध्याय
4

भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौती : संगठित अपराध (Challenge of Internal Security in India: Organized Crime)

किसी भी राष्ट्र की उत्पत्ति के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रक्रिया का भी जन्म हो जाता है, जो कि राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से तात्पर्य, राष्ट्र की एकता व अखंडता, संप्रभुता तथा नागरिकों के जीवन एवं उनकी संपत्ति की रक्षा करने से है। वर्तमान में भारत के समक्ष अनेक संगठित आपराधिक गतिविधियाँ, जैसे- आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, मादक पदार्थों एवं मानव तस्करी, साइबर अपराध, मनी लॉण्डरिंग, हथियारों का अवैध व्यापार आदि मौजूद हैं जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। ये ऐसी गतिविधियाँ हैं, जो देश की आर्थिक प्रणाली की स्थिरता को कमज़ोर करती हैं तथा निर्दोष निवेशकों एवं प्रतिस्पर्द्धी संगठनों को हानि भी पहुँचाती हैं। ये बाज़ारों की मुक्त प्रतिस्पर्द्धा में हस्तक्षेप करती हैं तथा अंतर्राज्यीय एवं विदेशी व्यापार-वाणिज्य को गंभीरता से प्रभावित करती हैं। साथ ही राष्ट्र एवं उसके नागरिकों के विकास को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।

4.1 संगठित अपराध : अर्थ व आयाम *(Organized Crime : Meaning and Dimensions)*

संगठित अपराध वे घटनाएँ हैं, जिनमें अपराधी तत्त्व अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अथवा स्थानीय स्तर पर एक केंद्रीयकृत मशीनरी के रूप में काम करते हैं। संगठित अपराधों से मानव सुरक्षा तथा शांति को अधिक खतरा होता है, ये पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति व नागरिक विकास को प्रभावित करते हैं। संगठित अपराधों की बुनियाद वास्तव में भय तथा भ्रष्टाचार पर टिकी होती है और यह एक कॉर्पोरेट समूह की तरह कार्य करता है। 1997 में संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है- "संगठित अपराध से आशय तीन अथवा अधिक लोगों की सामूहिक गतिविधियों से है, जिसमें विभिन्न सोपान स्तरों अथवा व्यक्तिगत संबंधों के ज़रिये ये सरगना लाभ कमा सकें या हिंसा, भय और भ्रष्टाचार के ज़रिये आंतरिक और विदेशी क्षेत्रों तथा बाज़ारों पर नियंत्रण कर सकें। इन सभी गतिविधियों का मकसद आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और किसी भी वैध अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर उसे पंगु बनाना है।" संगठित अपराध निम्नलिखित तरीकों से किये जा सकते हैं-

- **नशीले एवं मादक पदार्थों की तस्करी:** इसमें नशीले एवं मादक पदार्थों की तस्करी करके अवैध तरीके से धन कमाया जाता है और फिर इसे मनी लॉण्डरिंग के ज़रिये वैध बनाया जाता है।
- **मानव तस्करी:** इसमें वेश्यावृत्ति के लिये औरतों की तस्करी तथा अन्य मानव तस्करी शामिल हैं।
- **हथियारों एवं विस्फोटक पदार्थों का अवैध व्यापार:** इसमें संगठित तरीके से हथियारों तथा विस्फोटक सामग्री की तस्करी की जाती है तथा धन कमाया जाता है।
- **जाली मुद्रा:** इसमें किसी देश की जाली मुद्रा छपवाकर उसे वैध बनाने की कोशिश होती है तथा बहुत से कार्य जाली मुद्रा चलाकर करवा लिये जाते हैं।
- **सांस्कृतिक वस्तुओं की चोरी या उनका अवैध व्यापार:** इसमें सांस्कृतिक महत्त्व की वस्तुओं की चोरी या उनका अवैध व्यापार किया जाता है।
- **आतंकवादी घटनाएँ:** इसमें बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार एवं अन्य प्रकार से तस्करी से प्राप्त धन का उपयोग किया जाता है।
- **मोटर वाहनों की चोरी या उनका अवैध कारोबार:** इसमें मोटर वाहनों की संगठित रूप से चोरी की जाती है तथा उन्हें अन्यत्र ले जाकर बेच दिया जाता है। यह व्यापार बड़े तथा छोटे दोनों पैमानों पर होता है।

अध्याय
5

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ: आणविक प्रसार एवं अतिवाद (Challenges of International Security: Nuclear Proliferation and Extremism)

वर्तमान भूमंडलीकृत वैश्विक व्यवस्था में राष्ट्रों की बढ़ती परस्पर निर्भरता एवं तकनीकी विकास के कारण एक राष्ट्र की कार्रवाई अन्य राष्ट्रों के कार्यों और नीतियों को प्रभावित करने अथवा बदलने की क्षमता रखती है। ऐसे में दुनिया के किसी हिस्से में उत्पन्न संकट अब दूर-दराज़ के देशों की शांति और स्थिरता को चुनौती देने में सक्षम है। वर्तमान में आतंकवाद, क्षेत्रीय संघर्ष, जातीय राष्ट्रवाद, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को बढ़ावा देने वाले मुद्दे, परमाणु हथियारों की प्राप्ति के लिये होड़ आदि मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के समक्ष सुरक्षा की बड़ी चुनौतियाँ बने हुए हैं, जो व्यवस्थित वैश्विक स्थिरता के लिये खतरा हैं। यह स्पष्ट है कि कोई भी राष्ट्र अकेले इन समस्याओं का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इनके लिये अंतर्राष्ट्रीय समाधानों की आवश्यकता है, जिसमें प्रमुख वैश्विक शक्तियों को शामिल होना होगा।

5.1 आणविक प्रसार से संबंधित मुद्दे *(Issues Related to Nuclear Proliferation)*

वर्तमान में परमाणु हथियारों की होड़ दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। परमाणु हथियारों की होड़ के कारण विभिन्न राष्ट्रों के बीच युद्ध एवं तनाव की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए तो इस घटना ने विश्व की राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की। इसके बाद दुनिया ने पारंपरिक युद्ध की जगह एक विध्वंसकारी युद्ध के साये में जीना शुरू कर दिया था। अमेरिका के इस कदम के बाद रूस ने भी परमाणु हथियारों का विकास करना शुरू किया था और इस प्रकार विश्व विनाशक हथियारों की दौड़ में निकल पड़ा।

तब से लेकर अब तक अनेक देशों ने सुरक्षा और कूटनीतिक दृष्टि से परमाणु हथियारों का विकास करना आरंभ कर दिया है। परमाणु प्रसार के वर्तमान युग में परमाणु अस्त्रों ने आक्रमण के विरुद्ध निवारक के रूप में राष्ट्रों को प्रौद्योगिकी क्षमता उपलब्ध कराई है। राष्ट्रों द्वारा अपनी-अपनी अंतर्राष्ट्रीय हैसियत में वृद्धि के लिये भी परमाणु अस्त्रों का विकल्प चुना जाने लगा। कुछ मामलों में घरेलू राजनीतिक दबाव भी राष्ट्रों के राजनीतिक नेतृत्व को परमाणु अस्त्रों का विकल्प अपनाने के लिये बाध्य कर देते हैं।

16 जुलाई, 1945 को अमेरिका द्वारा किये गए विश्व के पहले परमाणु परीक्षण के साथ ही एक नए युग (परमाणु युग) की शुरुआत हुई। इसके पश्चात् 1949 में सोवियत संघ, 1952 में ब्रिटेन, 1960 में फ्राँस, 1964 में चीन आदि अपना-अपना परमाणु परीक्षण कर अमेरिका की बिरादरी में शामिल हो गए। 18 मई, 1974 को पोखरण में भूमिगत परमाणु परीक्षण कर भारत भी इस विध्वंसक दौड़ में शामिल हो गया। इसके पश्चात् शायद कभी न खत्म होने वाली परमाणु परीक्षणों की घुड़दौड़ आरंभ हो गई। भारत के पश्चात् 1998 में पाकिस्तान ने एवं 2006 में उत्तरी कोरिया ने भी परमाणु परीक्षण कर परमाणु शक्ति संपन्न देशों की फेहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा लिया। कालांतर में परमाणु शक्ति संपन्न देशों (P5), अर्थात् अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्राँस और चीन द्वारा परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के प्रयास आरंभ किये गए। एनपीटी (NPT) और सीटीबीटी (CTBT) को अपनाना नए देशों को परमाणु शक्ति संपन्न होने से रोकने का प्रयास था, लेकिन ये संधियाँ दोषपूर्ण एवं भेदभावपूर्ण थीं, क्योंकि इनमें इन्हीं राष्ट्रों के आधिपत्य और सर्वोच्चता को बनाए रखने का प्रयास किया गया था। ऐसे में गैर-परमाणु संपन्न राष्ट्र खुद को असहाय महसूस करने लगे। इस प्रकार असुरक्षा की भावना ने परमाणु हथियारों के बड़े पैमाने पर विकास को प्रेरित किया। इसी क्रम में इज़राइल और दक्षिण अफ्रीका ने भी अपनी परमाणु क्षमताओं का विकास किया।

अध्याय
6

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती : संचार नेटवर्क (Challenge of International Security: Communication Network)

संचार तकनीक को किसी देश की अवसंरचना का महत्त्वपूर्ण हिस्सा माना जा सकता है। हाल के वर्षों में बेहतर क्षमता वाले शक्तिशाली कंप्यूटरों, वायरलेस नेटवर्क तकनीक और इंटरनेट के व्यापक इस्तेमाल ने संचार तंत्र नेटवर्कों को काफी हद तक बदल दिया है। संचार नेटवर्क के उपकरण पिछले कुछ वर्षों में प्रोद्यौगिकीय रूप से अत्यधिक समुन्नत हुए हैं। इन उपकरणों के उपयोगकर्त्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उपयोगकर्त्ताओं के बीच लगातार संपर्क का दायरा बढ़ते जाने से इंटरनेट आधारित साइबर स्पेस में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। वर्तमान में साइबर स्पेस से जुड़े हमलों और खतरों का जोखिम ज्यादा है, जिसमें कोई भी दुश्मन देश अथवा आतंकवादी संगठन सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्कों और सूचना भंडारों पर हमला कर या इन्हें हैक कर सूचनाएँ चुराने एवं आधारभूत ढाँचे को नुकसान पहुँचाने का कार्य कर सकता है। वर्तमान में किसी भी देश का कंप्यूटर नेटवर्क आपस में तथा अन्य तंत्रों से जुड़ा रहता है, जो इस प्रकार के हमलों के लिये अति संवेदनशील है।

6.1 संचार नेटवर्क द्वारा सुरक्षा चुनौतियाँ *(Security Challenges through Communication Network)*

संचार नेटवर्क को मुख्यत: दो प्रकार का खतरा होता है-

1. **भौतिक आक्रमण:** भौतिक खतरे में संचार नेटवर्क के तारों को काट देना या विस्फोट से उड़ा देना, मोबाइल टॉवरों को नष्ट कर देना आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। इसे भौतिक सुरक्षा बढ़ाकर रोका जा सकता है।
2. **साइबर आक्रमण:** इसमें नेटवर्क में किसी प्रकार का हमला करना या नुकसान पहुँचाने का प्रयास करना आदि आते हैं। इसके अंतर्गत कई तरह से हानि पहुँचाई जा सकती है, जो इस प्रकार हैं-

- देश की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली में घुसपैठ कर उसकी सूचनाओं की प्रामाणिकता बदल देना इसमें हैकिंग, स्टॉकिंग, वायरस अटैक आदि प्रकारों से नुकसान पहुँचाया जाता है।
- अनधिकृत व्यक्तियों के पास गोपनीय जानकारियाँ पहुँचने का खतरा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरनाक होता है।
- महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों की संचार प्रणाली में उपलब्ध आँकड़ों में परिवर्तन करना या उन्हें हटा देना, जिससे कार्य बाधित हो।
- गलत पहुँच के कारण संचार नेटवर्क में भौतिक नुकसान पहुँचने की संभावना, जिससे लोगों को प्रत्यक्ष क्षति पहुँचाकर समस्याएँ उत्पन्न करना।

स्वच्छ प्रशासन देने में कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के अपने प्रयासों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों तथा सेवाओं को व्यापक तौर पर अपनाने की पहल की है। केंद्र सरकार ने अनेक नागरिक और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कई प्रयास शुरू किये हैं। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में सुधारों के तहत भी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं को बड़े पैमाने पर अपनाया गया है। इनमें राष्ट्रीय ई-शासन कार्यक्रम और भारतीय विशिष्ट पहचान विकास प्राधिकरण कार्यक्रम प्रमुख रूप से शामिल हैं। आज सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सभी विभाग और स्थान इंटरनेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ चुके हैं। इसका फायदा उठाकर असामाजिक तथा अराजक तत्त्व महत्त्वपूर्ण स्थानों पर साइबर हमले कर राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं। इसी वजह से हाल के वर्षों में साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।

साइबर सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी मैक्फी के मुताबिक वर्ष 2011 से अब तक पूरे विश्व में लगभग सात करोड़ दुर्भावना से प्रेरित कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाने वाले कार्यक्रम 'मालवेयर' पाए गए हैं। इन्हें स्मार्टफोन से भेजा जाता है।

अध्याय
7

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ: मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स (Challenges of International Security : Media and Social Networking Sites)

वाक् एवं अभिव्यक्ति की मौलिक आज़ादी लोकतंत्र का एक अहम पहलू है। इस अधिकार को वास्तविक रूप से समझने एवं उपयोग करने में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की अहम भूमिका रही है। मीडिया जहाँ एक ओर देश के लोगों की समस्याओं को सामने लाने के साथ-साथ सरकार और नागरिकों के बीच अंतर्संबंध स्थापित करता है, वहीं दूसरी ओर सोशल नेटवर्किंग साइटें जानकारियों को साझा करने एवं नवाचार को स्थापित करने का एक माध्यम मानी जाती हैं। लेकिन, बदलते दौर में इनकी भूमिकाओं पर संदेह पनपना शुरू हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय में कई सकारात्मक गुणों के बावजूद इनकी भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और समाज को बाँटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के तमाम लाभों को अगर एक तरफ रखा जाए तो निश्चय ही आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों के अंतर्गत इन दोनों को सबसे ऊपरी क्रम में रखा जा सकता है।

7.1 भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया की भूमिका *(Role of Media in Internal Security Challenges of India)*

मीडिया अपने आप में एक व्यापक शब्द है। इसका समाज और व्यक्तियों पर विशेष प्रभाव है। यह सूचना, संचार, शिक्षा जानकारी के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाने के साथ-साथ जनमानस की सोच में बदलाव लाने का कार्य भी करता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। वर्तमान परिदृश्य में समाचार-पत्र, पत्रिकाओं के अलावा रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि भी इसमें शामिल हैं। मीडिया देश का एक सजग प्रहरी है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नज़र रखता है तथा निष्पक्ष भाव रखते हुए इनकी खामियों को उजागर करता है। मीडिया के दो रूप हैं- प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ तथा अन्य छपी सामग्री आती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, संचार-तंत्र, इंटरनेट आदि आते हैं। आज टेलीविज़न एवं इंटरनेट का समाज के हर वर्ग पर व्यापक प्रभाव है और इंटरनेट को मीडिया का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जा सकता है। कई बार मीडिया सत्ता-संघर्ष का साधन बन जाता है, तब वह तटस्थ नहीं होता तथा उसकी नैतिकता भी निरपेक्ष नहीं होती। यह आम निष्कर्ष है कि सत्ता-संघर्ष से उपजा भ्रष्टाचार अपने अंत तक नहीं पहुँचता। सत्ता का खेल खेलने में मीडिया या तो स्वयं भ्रष्ट हो जाता है या निष्पक्ष नहीं रह पाता।

भारत को विभिन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों, जैसे- सांप्रदायिकता, नक्सलवाद, आतंकवाद, साइबर हमला, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, उग्रवादी गुटों के विद्रोह इत्यादि का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ चुनौतियों में मीडिया की भूमिका प्रत्यक्ष होती है, जिससे ये चुनौतियाँ बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। वे चुनौतियाँ, जिनमें मीडिया प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है, निम्नलिखित हैं:

- **सांप्रदायिकता:** भारत विभिन्न संप्रदायों का संयुक्त निवास स्थल है, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदू-मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक तनाव के कारण कई बार दंगे हो जाते हैं। 2002 के गुजरात दंगे तथा हाल में घटित असम और मुज़फ्फरनगर की घटनाएँ इसके उदाहरण हैं। मीडिया द्वारा इन दंगों के समाचारों को तुरंत प्रकाशित-प्रसारित किया जाता है, जिससे इनके दूसरे क्षेत्रों में भी फैलने की आशंका होती है और कई बार ये फैलते भी हैं। कभी-कभी मीडिया द्वारा किसी एक पक्ष के नेता का भड़काऊ बयान बिना सोचे-समझे प्रकाशित-प्रसारित कर दिया जाता है, जिससे लोगों की भावनाएँ भड़क उठती हैं और संप्रदायों के बीच तनाव बढ़ जाता है।

अध्याय
8

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती : मनी लॉण्डरिंग (हवाला)
[Challenge of International Security: Money Laundering (Hawala)]

किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक व बौद्धिक विकास के लिये तथा शासन एवं प्रशासन के सुचारु रूप से संचालन के लिये वित्त की आवश्यकता होती है। इसलिये प्रत्येक देश के नागरिकों का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह देश के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दें। लेकिन विगत कुछ वर्षों से भारत सहित अनेक देश आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से गुज़र रहे हैं क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के समानांतर एक और अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है, जिसे मनी लॉण्डरिंग के रूप में देखा जा रहा है। अवैध धन (कालाधन) को वैध बनाना ही मनी लॉण्डरिंग कहलाता है। इसमें राजनेता, उद्योगपति, व्यापारी, अधिकारी व कई संगठन सम्मिलित होते हैं। अवैध धन को नशीली दवाओं के व्यापार, भ्रष्टाचार, लेखांकन, हथियारों का व्यापार, धोखाधड़ी और कर चोरी सहित अनेक आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त करके इसका उपयोग नकदी तस्करी, फर्ज़ी कंपनियों, रियल एस्टेट, कसीनो, आतंकवाद का वित्तपोषण इत्यादि जैसे आपराधिक कृत्यों में किया जाता है। भारत में इस समस्या से निपटने हेतु अनेक नियमों एवं कानूनों का निर्माण व क्रियान्वयन जारी है और कई एजेंसियाँ एवं संगठन सक्रिय हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक समझौते व सम्मेलन होते रहते हैं तथा कई संगठनों का निर्माण भी किया गया है जिससे मनी लॉण्डरिंग को रोका जा सके।

8.1 मनी लॉण्डरिंग : अर्थ, अवधारणा एवं आयाम
(Money Laundering : Meaning, Concept and Dimension)

मनी लॉण्डरिंग (हवाला) का अर्थ अवैध रूप से कमाए गए कालेधन को वैध रूप से कमाए गए धन के रूप में परिवर्तित करने से है। यह अवैध या गैर-कानूनी ढंग से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक माध्यम होता है। मनी लॉण्डरिंग से कमाए गए धन पर सरकार को कोई कर (टैक्स) प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इसका लेखा-जोखा सरकार के पास नहीं होता है। परिणामतः राजस्व आय में कमी आती है। जो व्यक्ति धन की हेरा-फेरी करता है, उसे 'लाउंडरर' (The Launderer) कहा जाता है। मनी लॉण्डरिंग में कालेधन के रूप में कमाया गया धन सफेद होकर अपने वास्तविक मालिक के पास वैध मुद्रा के रूप में वापस आ जाता है। मनी लॉण्डरिंग शब्द की उत्पत्ति अमेरिका के माफिया समूह से उत्पन्न हुई। इस माफिया समूह ने जबरन वसूली, जुआ जैसे अनेक आपराधिक गतिविधियों से कमाई की और उस पैसे को वैध स्रोत के रूप में दिखाया। 1980 के दशक में अमेरिका में यह भारी चिंता का विषय बन गया। भारत में मनी लॉण्डरिंग को 'हवाला' के रूप में जाना जाता है। भारत में यह 1990 के दशक में तब चर्चा में आया जब इसमें शामिल कई राजनेताओं के नाम उजागर हुए।

पेरिस स्थित वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने मनी लॉण्डरिंग को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसके अंतर्गत अपराध से प्राप्त प्राप्तियों को छिपाकर वैध व्यापार लेन-देनों के माध्यम से मूल्यांतरण द्वारा उनके अवैध स्रोतों को वैध किये जाने का प्रयास किया जाता है। सरल शब्दों में, व्यापार आधारित मनी लॉण्डरिंग (TBML) व्यापारिक लेन-देनों के माध्यम से धन को अंतरित करने अथवा स्थान बदली करने की प्रक्रिया है। व्यवहार में, इसे आयातों या निर्यातों के मूल्य, मात्रा या गुणवत्ता के मिथ्या निरूपण से प्राप्त किया जा सकता है। मनी लॉण्डरिंग में शामिल धन को नशीली दवाओं के व्यापार, भ्रष्टाचार, लेखांकन एवं इससे संबद्ध अन्य प्रकार की धोखाधड़ी और कर चोरी सहित अनेक प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली कई तरह के जोखिमों और असुरक्षाओं से घिरी हुई है जो भ्रष्ट संस्थाओं को मनी लॉण्डरिंग का अवसर प्रदान करती है। मनी लॉण्डरिंग अपराध का इस्तेमाल सभी प्रकार के गंभीर अपराधों, जैसे- नशीले पदार्थों की

अध्याय
9

भारत में सुरक्षा बल एवं उच्च रक्षा संगठन: भूमिका, प्रकार तथा शासनादेश (Security Forces and Higher Defence Organizations in India: Role, Kind and Mandate)

देश की संप्रभुता तथा आंतरिक सुरक्षा एवं नागरिकों की रक्षा का ज़िम्मा विभिन्न सुरक्षा बलों एवं एजेंसियों पर है। इनमें सशस्त्र सेनाओं के साथ-साथ अर्द्धसैनिक बल, विभिन्न केंद्रीय पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियाँ शामिल हैं। ये बल राज्यों के सुरक्षा बलों तथा पुलिस के साथ मिलकर आंतरिक सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने में मदद करते हैं।

9.1 भारत में सुरक्षा बल *(Security Forces in India)*

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल *(CRPF)*

यह बल देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा बल है। इस बल का गठन शुरू में 'सम्राट प्रतिनिधि पुलिस' के रूप में 27 जुलाई, 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच में किया गया था और आज़ादी के बाद इसे केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) नाम दिया गया। केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल को यह नाम 28 दिसंबर, 1949 को सी.आर.पी.एफ. एक्ट के अधिनियमित होने के साथ मिला। केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force) में 246 स्पेशल ड्यूटी समूह, 1 पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, 6 महिला बटालियन, 15 आर.ए.एफ. बटालियन, 10 कोबरा बटालियन, 2 आपदा प्रबंधन (एन.डी.आर.एफ.) एवं 5 सिग्नल बटालियन शामिल हैं। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने व विद्रोही गतिविधियों के नियंत्रण के अलावा सी.आर.पी.एफ. का योगदान आम चुनावों में भी रहा है। ऐसा विशेषकर उपद्रवग्रस्त जम्मू-कश्मीर, बिहार व उत्तर-पूर्वी राज्यों में देखा गया है। राज्यों तथा संघ-शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने तथा पुलिस अभियानों में स्थानीय पुलिस की मदद के लिये इसे आरक्षित बल के रूप में रखा जाता है। कई राज्यों में विभिन्न प्रकार की पुलिस ड्यूटी में इस बल का उपयोग किया जा रहा है। यह बल अपनी तैनाती तथा संचालन एवं संगठनात्मक ढाँचे में अखिल भारतीय स्तर का है। यह बल विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों के अनुरूप अपने को ढालने में सक्षम है और राज्य पुलिस के साथ पूरे समन्वय के साथ काम करता है।

सी.आर.पी.एफ. कई अन्य हिस्सों में बँटा है। इसमें रैपिड एक्शन फोर्स, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, कोबरा बटालियन आदि शामिल हैं। रैपिड एक्शन फोर्स का गठन अक्टूबर 1992 में किया गया। यह सांप्रदायिक दंगों एवं घरेलू अशांति से निपटने हेतु त्वरित कार्रवाई बल है और बहुजातीय संरचना के साथ गठित किया गया है। स्पेशल ड्यूटी ग्रुप का कार्य एस.पी.जी. संरक्षित जगहों पर सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करना है। पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप का कार्य संसद भवन को सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करना है। कोबरा बटालियनों को कमांडो ऑपरेशन एवं गोरिल्ला युद्ध के लिये प्रशिक्षित किया गया है। इसका गठन मुख्यत: वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये किया गया है। सरदार वल्लभभाई पटेल ने इसकी बहुआयामी भूमिका को स्वीकार किया। 1950 के दशक में भुज, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन (PEPSU) तथा चंबल घाटी में इसके योगदान को सराहा गया। जूनागढ़ और काठियावाड़ का भारत में विलय कराने में इसने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। अर्धसैनिक बलों के इतिहास में पहली बार शांति रक्षक बल के रूप में 13 बटालियन जिसमें महिला बटालियन भी थी, को श्रीलंका में उपद्रवियों से निपटने के लिये भेजा गया। सी.आर.पी.एफ. को हैती, नामिबिया, सोमालिया तथा मालदीव जैसे देशों में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बलों के रूप में भेजा जाता रहा है।

शासनाधिकार

भीड़ को नियंत्रित करना, दंगों पर नियंत्रण करना, आतंकियों को मार गिराने या उन्हें हटाने का अभियान चलाना, वामपंथी उग्रवाद से निपटना, हिंसक क्षेत्रों में चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिये राज्य पुलिस

अध्याय
10

उत्तर प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा (Law & Order and Civil Defence in Uttar Pradesh)

उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासन के सुचारु संचालन के लिये संघ के सदृश प्रतिनिधिमूलक संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। राज्य का संपूर्ण प्रशासन भारतीय संविधान के भाग 6 (अनुच्छेद 152 से 237) के तहत संचालित होता है। नागरिक सुरक्षा से तात्पर्य एक आम नागरिक को सुरक्षा व्यवस्था में भागीदार बनाना है। इसमें राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों को सुरक्षा व्यवस्था में ज़िम्मेदार बनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के बाद नागरिक सुरक्षा उपायों के लिये नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना देश तथा अन्य राज्यों के स्तर पर की गई थी।

10.1 उत्तर प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था *(Law & Order in Uttar Pradesh)*

अपराध रोकने, पता लगाने, अपराधों को दर्ज करने और जाँच-पड़ताल करने तथा अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के तहत अस्त्र-शस्त्र, संचार, उपस्कर, मोबिलिटी प्रशिक्षण और अन्य संरचना के संदर्भ में राज्य सरकारों को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा इन मामलों पर राज्यों की सहायता करती है। इसके अलावा अपराध और कानून व्यवस्था से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिये केंद्रीय सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियों द्वारा राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से आसूचना जानकारी का आदान-प्रदान किया जाता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध एवं रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) अपराध नियंत्रण के लिये राज्यों को अपराध के आँकड़े उपलब्ध करवाता है। ब्यूरो ने इसके लिये 'अपराध एवं अपराधी सूचना प्रणाली' के तहत पूरे देश में ज़िला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (DCRB) तथा राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) में कंप्यूटरीकृत प्रणाली स्थापित की है। यह प्रणाली अपराधियों की जानकारी रखती है। इसके अलावा संगठित अपराध से निपटने के उद्देश्य से एक और प्रणाली 'संगठित अपराध सूचना प्रणाली' (OCIS) एनसीआरबी के दिशा-निर्देश में स्थापित की जा रही है।

राज्य में अपराध-मुक्त, अत्याचार-मुक्त, भय-मुक्त, भ्रष्टाचार-मुक्त वातावरण के निर्माण के लिये, कानून और व्यवस्था का उचित अनुपालन अति आवश्यक है। राज्य में जान और माल की सुरक्षा के बीच ही 'सबका साथ सबका विकास' के बीज की कोंपले फूट सकती हैं। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिये **एंटी रोमियो अभियान** चलाया गया, जिससे महिलाओं में निर्भयता और आत्मविश्वास बढ़ा है। राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर चल रहे अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एंटी भू-माफिया अभियान चलाकर सार्वजनिक भूमि को अवैध कब्ज़े से मुक्त करवाया गया है।

संवैधानिक ढाँचा *(Constitutional Structure)*

राज्य में कानून व्यवस्था के संचालन और राज्य में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने में विपक्ष, सरकार, मीडिया, पुलिस, न्यायपालिका सबकी भूमिका होती है। यदि सरकार अपराध पर रोक नहीं लगा पाती तो विपक्ष उन तथ्यों पर सदन में चर्चा करवाता है। सरकार पर दबाव बनता है तथा व्यवस्था को और दुरुस्त करने के प्रयास किये जाते हैं। कानून व्यवस्था और उचित प्रशासन के संचालन के लिये राज्य प्रशासन को तीन वर्गों में बाँटा गया है- विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका।

- **विधायिका:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधायिका/विधानमंडल की व्यवस्था होगी। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में दो सदनों की व्यवस्था की गई है। उच्च सदन विधानपरिषद तथा निम्न सदन विधानसभा कहलाता है। प्रदेश में विधानपरिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत की गई है। इसकी वर्तमान संख्या

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596